Government of **Western Australia**
Department of **Mines, Industry Regulation and Safety**

WorkSafe
Western Australia

सूचना पत्र

स्वयंसेवी संगठन

क्या स्वयंसेवी संगठनों के कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम 2020 (WHS Act) के अंतर्गत कर्तव्य हैं?

यदि कोई स्वयंसेवी संगठन (या उसकी ओर से एक स्वयंसेवक) कम से कम एक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को नियुक्त करता है, तो यह संगठन को WHS अधिनियम के तहत एक व्यवसाय या उपक्रम संचालित करने वाला व्यक्ति (PCBU) बनाता है। इसका अर्थ है कि स्वयंसेवी संगठन, उसके कार्यकर्ता(ओं) और स्वयंसेवकों के लिए WHS अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य हैं।

जब तक स्वयंसेवी संगठन, या उसका कोई स्वयंसेवक, किसी वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को नियुक्त नहीं करता है, तब तक स्वयंसेवी संगठन PCBU नहीं है। इसका मतलब है कि WHS अधिनियम लागू नहीं होता है। हालांकि, क्योंकि स्वयंसेवकों का उन लोगों और संगठनों जिनका वे समर्थन करते हैं, के प्रति देखभाल के एक सामान्य कर्तव्य का अधिकार माना जाता है, इसलिए भी सामान्य WHS कर्तव्यों का पालन करना एक अच्छा अभ्यास है।

यदि किसी संगठन का राज्य प्रभाग या स्थानीय समूह राष्ट्रीय निकाय से अलग है और संगठन के लिए काम करने के लिए वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करता है, तो इसे PCBU माना जाएगा और इसके WHS कर्तव्य होंगे।

स्वयंसेवी संगठन जिनका *व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम 1984 (Occupational Safety and Health Act 1984)* के तहत कर्तव्य था, वे पाएंगे कि WHS अधिनियम के अंतर्गत उनका कर्तव्य महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, जहाँ WHS अधिनियम स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों और जवाबदेही पर स्पष्टता प्रदान करता है।

स्वयंसेवक किसे माना जाता है?

स्वयंसेवक वह व्यक्ति होता है जो किसी संगठन के लिए भुगतान या वित्तीय पुरस्कार के बिना काम करता है, परंतु यात्रा या भोजन जैसे जेब खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

यदि स्वयंसेवी संगठन एक PCBU है, तो स्वयंसेवकों को WHS अधिनियम के तहत 'कार्यकर्ताओं' के रूप में माना जाता है, और यह ज़रूरी है कि PCBU अपने स्वयंसेवकों को वही सुरक्षा प्रदान करे जो वह अपने वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रदान करता है।

स्वयंसेवक + **वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी** = स्वयंसेवी संगठन / PCBU **WHS कर्तव्य हैं**

केवल स्वयंसेवक = स्वयंसेवी संगठन

WHS द्वारा किन गतिविधियाँ को सुरक्षित किया जाता है?

केवल कार्य गतिविधियाँ WHS अधिनियम द्वारा सुरक्षित की जाती हैं। ऐसी गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं जो विशुद्ध रूप से घरेलू, सामाजिक, मनोरंजक या निजी प्रकृति की हैं। क्या किसी गतिविधि को कार्य माना जाता है या नहीं, यह विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है।

संगठन के WHS कर्तव्य क्या हैं?

स्वयंसेवी संगठन जो PCBU हैं उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों, साथ ही अन्य लोगों जैसे आगंतुकों और जनता, के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करें, जहाँ तक यथोचित व्यावहारिक हो। WHS अधिनियम में, स्वास्थ्य में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है। अधिक जानकारी के लिए *स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्य को पूरा करने के लिए उचित रूप से व्यावहारिक क्या है यह निर्धारित करने का तरीका मार्गदर्शिका (How to determine what is reasonably practicable to meet a health and safety duty guide)* देखें।

संगठनों को कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?

WHS अधिनियम में, जहां तक उचित रूप से व्यावहारिक है, खतरों को मिटाने या जोखिमों को कम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को समाप्त करने या कम करने की प्रक्रिया को जोखिम प्रबंधन कहा जाता है और इसमें चार चरण शामिल होते हैं:

1. **खतरों की पहचान करें** - पता करें कि कौन सी स्थितियाँ नुकसान कर सकती हैं।
2. **जोखिमों का आंकलन करें** - खतरे से होने वाले नुकसान की प्रकृति को, नुकसान कितना गंभीर हो सकता है और इसके होने की संभावना को समझें।
3. **जोखिमों को नियंत्रित करें** - सबसे प्रभावी नियंत्रण उपाय लागू करें जो परिस्थितियों में उचित रूप से व्यावहारिक हो।
4. **नियंत्रण उपायों की समीक्षा करें** - यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे योजना अनुसार काम कर रहे हैं

यह ज़रूरी है कि PCBU के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया हो कि स्वास्थ्य या सुरक्षा के जोखिमों को समाप्त करने या कम करने के लिए जोखिम मूल्यांकन पूरा हो गया है, जहां तक यह उचित रूप से व्यावहारिक है।

अधिकारी कौन होता है और उनके कर्तव्य क्या हैं?

मोटे तौर पर, अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो संगठन की गतिविधियों के पूरे, या एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने या उनके लिए जाने में भाग लेता है। यह एक PCBU पर एक व्यक्ति का प्रभाव और नियंत्रण है जो यह निर्धारित करता है कि उन्हें एक अधिकारी माना जाता है या नहीं। बोर्ड और समितियों के सदस्य अधिकारी हो सकते हैं - यह उनकी भूमिका और प्रभाव पर निर्भर करेगा।

PCBU के एक अधिकारी के कर्तव्यों को WHS अधिनियम में उचित सावधानी दायित्वों के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि यह ज़रूरी है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संगठन के पास काम करने की उपयुक्त प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं और उन्हें संगठन के भीतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना होगा।

किसी PCBU के लिए कोई स्वयंसेवक एक अधिकारी हो सकता है जिसके WHS कर्तव्य हों , यदि वे ऐसे निर्णय लेते हैं या इन्हें लेने में भाग लेते हैं जो संगठन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, उदाहरण के लिए यदि वे किसी बोर्ड या समिति के सदस्य हैं जो PCBU की देखरेख और मार्गदर्शन करता है।

अधिकारी जो स्वयंसेवक नहीं हैं, उन पर WHS अधिनियम के तहत उचित सावधानी कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने के लिए कानूनी कारवाही की जा सकती है। अधिकारी जो एक PCBU के स्वयंसेवक हैं, यदि वे अपने उचित सावधानी के कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो वे कोई अपराध नहीं करते हैं।

किसी स्वयंसेवक के WHS से जुड़े कर्तव्य क्या होते हैं?

PCBU के स्वयंसेवकों के पास अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करने के लिए कार्यकर्ताओं के रूप में कर्तव्य होते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके कार्य या असावधानियां दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं। इसमें PCBU के उचित निर्देशों का पालन करना, जो WHS से संबंधित हों, और स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों के संबंध में कोई भी उचित नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ सहयोग करना शामिल है।

ऐसे सीमित अपराध हैं जो इन कार्यकर्ता कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित हैं। स्वयंसेवक WHS अधिनियम के किसी अन्य भाग का उल्लंघन करके कोई अपराध नहीं करते हैं।

अगर विभिन्न संगठनों के कई स्वयंसेवक किसी घटना में शामिल होते हैं तो कर्तव्य किसके होते हैं ?

घटनास्थल पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक PCBU का कर्तव्य है कि वह अपने कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करे, जहाँ तक उचित रूप से व्यावहारिक हो।

यह ज़रूरी है कि कार्यकर्ता और स्वयंसेवक यह भी सुनिश्चित करें, जहां तक उचित रूप से व्यावहारिक हो, कि उनकी गतिविधियां दूसरों को अनावश्यक जोखिम में नहीं डालती हैं।

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए *स्वयंसेवी संगठनों के लिए कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा मार्गदर्शिका (Work health and safety for volunteer organisations guide)* देखें।

यह एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका है। कर्तव्य धारकों को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पूर्ण समझ के लिए *कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम 2020 (Work Health and Safety Act 2020)* और संबंधित नियमों का संदर्भ लेना चाहिए।

डब्ल्यू एस मई22_1145